अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

₹ करोड़

क्रमांक	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	• कर राजस्व	2,574.52	3,642.38	4,107.92	4,626.17	5,120.91
	• कर-भिन्न राजस्व	1,783.66	1,695.31	1,915.20	1,376.88	1,784.53
	योग	**4,358.18**	**5,337.69**	**6,023.12**	**6,003.05**	**6,905.44**
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	861.63	1,715.35	1,998.37	2,282.02	2,491.53[1]
	• सहायता अनुदान	5,126.55	5,657.57	6,521.37	7,313.07	6,314.11
	योग	**5,988.18**	**7,372.92**	**8,519.74**	**9,595.09**	**8,805.64**
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	**10,346.36**	**12,710.61**	**14,542.86**	**15,598.14**	**15,711.08**
4.	1 से 3 की प्रतिशतता	**42**	**42**	**41**	**38**	**44**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹6,905.44 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 44 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 56 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

1.1.2 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का ब्यौरा **तालिका 1.2** में दिया गया है:

---

[1] विवरण के लिए कृपया वर्ष 2013-14 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में विवरणी संख्या-11-'लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का सविस्तृत विवरण' देखें। कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य प्राप्ति शीर्ष-0020-निगम कर, 0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय आबकारी शुल्क, 0044-सेवा कर-0045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क-901-क-कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित राज्य को समनुदेशित निवल आगमों के अंश के अंतर्गत आंकड़े जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए हैं।

तालिका 1.2

जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

₹ करोड़

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2013-14 में वृद्धि (+) अथवा (-) कमी की प्रतिशतता	
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन के प्रति वास्तविक	2012-13 के प्रति वास्तविक
1	बिक्री व्यापार आदि पर कर	1,604.17	1,487.40	1,741.18	2,101.10	2,444.27	2,476.78	3,161.57	2,728.22	3,232.90	3,141.10	(-) 3	15
2	राज्य आबकारी	480.07	500.26	549.46	561.53	709.74	707.36	800.14	809.87	949.46	951.96	0.26	18
3	मोटर वाहन कर	156.98	133.97	134.64	163.02	173.08	176.03	215.39	196.13	246.88	207.81	(-)16	6
4	स्टाम्प शुल्क	109.73	113.39	115.78	132.69	142.76	155.09	159.05	172.61	201.22	187.50	(-) 7	9
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	103.86	39.08	114.26	301.59	190.00	185.47	217.03	262.63	248.77	191.36	(-) 23	(-) 27
6	भू-राजस्व	1.94	14.54	2.02	4.78	1.90	17.86	4.01	23.60	4.00	9.98	149	(-) 58
7	अन्य	242.97	285.88	298.19	377.67	378.08	389.33	500.23	433.11	489.76	431.20	(-) 12	(-) 0.4
	योग	**2,699.72**	**2,574.52**	**2,955.53**	**3,642.38**	**4,039.83**	**4,107.92**	**5,057.42**	**4,626.17**	**5,372.99**	**5,120.91**	**(-) 5**	**11**

सम्बंधित विभागों ने भिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

स्टाम्प शुल्क: वृद्धि वर्ष के दौरान अधिक प्रलेखों के पंजीकरण के आधार पर पंजीकरण फीस की प्राप्तियों के संग्रहण के कारण थी।

विद्युत पर कर तथा शुल्क: कमी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विगत वर्षों के बकाया सहित विद्युत शुल्क की संपूर्ण राशि को जमा न करवाने के कारण थी।

भू-राजस्व: 2013-14 के बजट प्राक्कलनों के प्रति वास्तविक में वृद्धि अधिक प्रलेखों के पंजीकरण की पंजीकरण फीस की प्राप्तियों के कारण थी। विगत वर्ष के प्रति 2013-14 के वास्तविक में कमी के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

अन्य विभागों ने उनसे अनुरोध किये जाने (अगस्त 2014) के बावजूद विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विविधता के कारण प्रस्तुत नहीं किये थे (दिसम्बर 2014)।

1.1.3 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3

जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा

₹ करोड़

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2013-14 में वृद्धि (+) अथवा (-) कमी की प्रतिशतता	
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन के प्रति वास्तविक	2012-13 के प्रति वास्तविक
1	विद्युत	1,105.00	1,214.80	1,250.00	1,093.21	1,400.00	1,145.70	1,243.00	637.15	1,470.25	696.29	(-)53	9
2	ब्याज प्राप्तियां	105.27	76.93	45.12	69.95	48.41	115.09	125.56	69.90	176.14	118.61	(-)33	70
3	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	71.33	85.09	85.00	113.84	110.50	120.12	137.94	147.90	151.10	111.08	(-)26	(-) 25
4	वानिकी एवं वन्य जीवन	67.16	72.11	71.77	65.44	84.78	106.54	75.31	63.90	86.45	357.83	314	460
5	लोक निर्माण कार्य	21.22	30.81	23.40	34.66	30.14	41.63	38.89	39.72	42.59	34.75	(-)18	(-) 13
6	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20.15	17.28	17.26	31.00	17.92	26.23	33.39	45.71	35.09	25.95	(-)26	(-) 43
7	पुलिस	14.05	11.57	17.08	19.10	18.42	15.39	21.03	20.63	29.57	34.65	17	68
8	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8.00	5.81	8.57	8.40	6.90	8.66	7.13	11.21	8.59	5.04	(-)41	(-) 55
9	सहकारिता	4.28	3.35	4.31	9.59	3.23	2.30	3.46	3.24	4.48	15.30	242	372
10	विविध सामान्य सेवाएं	41.24	1.05	0.84	2.06	0.82	40.01	1.87	8.94	1.99	5.65	184	(-)37
11	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.32	0.14	0.42	6.84	0.46	0.36	0.81	0.33	0.81	0.37	(-)54	12
12	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	156.57	264.72	254.39	241.22	272.92	293.17	314.21	328.25	385.58	379.01	(-)17	15
	योग	**1,614.59**	**1,783.66**	**1,778.16**	**1,695.31**	**1,994.50**	**1,915.20**	**2,002.60**	**1,376.88**	**2,392.64**	**1,784.53**	**(-)25**	**30**

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

सम्बंधित विभागों ने विभिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

वानिकी एवं वन्य जीवन: वृद्धि भारत सरकार से प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं परियोजना अभिकरण निधि की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त उपभोक्ताओं तथा अन्य विभागों/ संगठनों को लकड़ी एवं अन्य वन उत्पाद की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

लोक निर्माण कार्य: कमी निविदा फार्मों की बिक्री, सीमेंट की खाली बोरियों और संविदाकार की पंजीकरण फीस से कम प्राप्ति के कारण थी। इसके अतिरिक्त निक्षेप कार्यों के अंतर्गत आवासीय तथा गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए विभागीय प्रभारों की कम प्राप्ति के कारण भी कमी थी।

लेखापरीक्षा ने फरवरी 2014 और मार्च 2014 के मध्य पांच भवन एवं सड़क मंडलों[2] के प्रतिभूति/ निक्षेप रजिस्टरों की नमूना जांच में पाया कि 922 मदों के लिए ₹94.51 लाख[3] की राशि जो 2002-03 से 2009-10 के दौरान निक्षेपों के आधार पर संविदाकारों के बिलों में काटी गई थी, सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई थी जैसा कि अपेक्षित था। अत: ₹94.51 लाख राजस्व लेखा से बाहर रहे जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की अल्पोक्ति हुई।

---

2 बंगाणा, जोगिन्द्रनगर, कांगड़ा, मण्डी तथा ऊना

3 2008-09: 594 मदें: ₹71.59 लाख तथा 2009-10: 328 मदें: ₹22.92 लाख

फरवरी 2014 और मार्च 2014 के मध्य इसे इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता, भवन एवं सड़क मंडल, मण्डी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए सूचित किया (सितम्बर 2014) कि ₹66.58 लाख में से 109 मदों के लिए ₹11.61 लाख की राशि समायोजित कर दी गई थी। शेष भवन एवं सड़क मण्डलों ने बताया कि जब संविदाकारों के बिलों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तब राजस्व लेखे में व्यपगत निक्षेप जमा करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग: लेखापरीक्षा ने फरवरी 2014 और मार्च 2014 के मध्य तीन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडलों (बड़सर, हमीरपुर तथा इंदौरा) के प्रतिभूति/निक्षेप रजिस्टरों की नमूना जांच में पाया कि 1,840 मदों के लिए ₹106.91 लाख की राशि (2008-09: 1,360 मदें: ₹68.62 लाख तथा 2009-10: 480 मदें: ₹38.29 लाख) जो 2001-02 से 2009-10 के दौरान निक्षेपों के आधार पर संविदाकारों के बिलों में से काटी गई थी, सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई थी जैसा कि अपेक्षित था। अत: ₹106.91 लाख राजस्व लेखे से बाहर रहे जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की अल्पोक्ति हुई।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात सम्बंधित अधिशासी अभियंता ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि जब संविदाकारों के बिलों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तब राजस्व लेखे में व्यपगत निक्षेप जमा करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि उपरोक्त नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

पुलिस: वृद्धि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, रेलवे एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा पुलिस गार्डों की सप्लाई करने हेतु बकाया का भुगतान करने के कारण थी। इसके अतिरिक्त जिला प्राधिकरणों द्वारा शिमला जिला में प्रतिबंधित सड़क के लिए सहायक अधिनियम के अंतर्गत जारी प्रवेश-पत्रों के आधार पर परमिट फीस की प्राप्तियों के कारण भी वृद्धि थी।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: कमी अधिक भुगतान की वसूली की कम प्राप्ति, समाप्त प्राय: स्टॉक से बिक्री प्रक्रियाओं से आय की कम प्राप्ति के कारण थी।

सहकारिता तथा अन्य विभागों से अनुरोध किये जाने (अगस्त 2014) के बावजूद विगत वर्ष और बजट प्राक्कलन की तुलना में प्राप्तियों में विविधता के लिए कारण सूचित नहीं किए थे (दिसम्बर 2014)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों पर 31 मार्च 2014 तक राजस्व के बकाया की राशि ₹644.03 करोड़ थी जिसमें से ₹113.23 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से शेष थी जैसा कि **तालिका 1.4** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 1.4
राजस्व का बकाया

₹ करोड़

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2014 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	314.22	80.90	बकाया 1968-69 से संचित हैं। ₹76.53 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹7.78 करोड़ अपलेखन के लिए प्रस्तावित किये, शेष ₹1.86 करोड़ सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने थे, ₹26.48 करोड़ की राशि की वसूलियों को उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था तथा ₹201.57 करोड़ व्यापारियों से वसूल किए जाने थे।
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता व लघु सिंचाई	198.79	लागू नहीं	जलापूर्ति हेतु ₹198.79 करोड़ के कुल बकाया में से ₹191.53 करोड़ नगर निगम/समितियों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों, ₹5.36 करोड़ तथा ₹0.68 करोड़ क्रमश: गैर-सरकारी निकायों व सरकारी विभागों, ₹1.17 करोड़ आवास तथा ₹0.05 करोड़ लघु सिंचाई से सम्बंधित थे।
3.	वानिकी एवं वन्य-प्राणी	60.89	लागू नहीं	संविदाकारों से सम्बंधित अधिकांश मामले (₹3.33 करोड़) भू-राजस्व के बकाया के अंतर्गत वसूली हेतु सम्बंधित समाहर्त्ताओं को भेज दिए गए थे तथा शेष विधि न्यायालयों में अन्वीक्षाधीन थे। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग निगम सीमित तथा अन्य सरकारी विभागों से क्रमश: ₹57.28 करोड़ तथा ₹0.28 करोड़ की बकाया राशियों की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	22.05	13.24	बकाया 1989-90 से संचित थे। ₹4.59 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹38,350 अपलेखन हेतु प्रस्तावित थे, ₹0.14 करोड़ उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए, ₹17.32 करोड़ विभिन्न होटल मालिकों से वसूल किए जाने थे।
5.	पुलिस	17.10	5.65	बकाया 1990-91 और उसके बाद से संचित हैं। कुल शेष राशि में से ₹0.30 करोड़ जय प्रकाश एसोसिएट्स, ₹0.15 करोड़ विमानपतन प्राधिकरण, भुन्तर, ₹0.10 करोड़ सी0सी0आई0 राजवन और यमुना जल विद्युत परियोजना, ₹0.54 करोड़ जे पी सीमेन्ट प्लांट सीमित, ₹7.44 करोड़ बी0बी0एम0बी0 से सम्बंधित थे और शेष राशि ₹8.57 करोड़ अन्य विभाग/सस्थानों से सम्बंधित थी।
6.	राज्य आबकारी	15.53	5.79	बकाया 1972-73 से संचित थे। ₹5.54 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹0.12 करोड़ उच्च न्यायालय/अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए, ₹0.03 करोड़ अपलेखन हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹9.84 करोड़ का बकाया बोली देने वालों/ लाइसेंसधारियों से वसूल किया जाना था।
7.	माल व यात्रियों पर कर	8.58	5.78	₹2.88 करोड़ की मांगें भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित की गई, ₹6.55 लाख का अपलेखन प्रस्तावित किया गया, ₹81,824/- के शेष बकाया सरकार/विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने हैं, ₹7.79 लाख उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए तथा ₹5.55 करोड़ विभिन्न वाहनों के मालिकों से वसूल किए जाने थे।
8.	ग्राम तथा लघु उद्योग	5.64	1.05	बकाया प्लाटों (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बंधित हैं।
9.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.76	0.49	बकाया रायल्टी/ड्रिलिंग प्रभारों आदि की वसूली के संदर्भ में खनन अधिकारियों और आहरण तथा संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) भू-गर्भ स्कंध उद्योग निदेशालय से सम्बंधित हैं।
10.	उद्योग	0.24	0.11	बकाया रेंट शेड (औद्योगिक परिसंपत्ति), सरकारी आवास के किराये/ मलबरी पौधों आदि की बिक्री से प्राप्ति से सम्बंधित हैं।
11.	लोक निर्माण कार्य	0.23	0.22	बकाया 1963-64 वर्षों तथा इससे आगे से संचित हुए हैं। फील्ड अधिकारियों को राशि की वसूली और जहां भी राशि अवसूलनीय हो वहां राशि को अपलेखित करने हेतु सारे प्रयास करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे।
योग		**644.03**	**113.23**	

स्रोत: सम्बंधित विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि विभागीय प्राधिकारियों के पास ₹314.90 करोड़ का बकाया लंबित था और अपलेखन (₹7.87 करोड़) हेतु भेजे गए मामले भी सम्बंधित विभागों द्वारा आगे नहीं बढाए गए थे।

1.3 निर्धारणों में बकाया

बिक्री-कर, मोटर स्प्रिट कर, विलास-कर तथा निर्माण कार्य संविदाओं पर करों के संदर्भ में बिक्री कर विभाग द्वारा, वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 1.5** में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5
बकाया निर्धारण

राजस्व शीर्ष	अथ शेष	2013-14 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2012-13 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कालम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,32,428	61,841	1,94,269	54,534	1,39,735	28
विलास कर	2,872	1,899	4,771	1,555	3,216	33
निर्माण कार्य संविदाओं पर कर	1,913	1,723	3,636	1,671	1,965	46
मोटर स्प्रिट कर	0	27	27	14	13	52

स्रोत: सम्बंधित विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि बिक्री, व्यापार आदि तथा विलास कर में विशेष कर निर्धारण मामलों का निपटान अत्यंत धीमा था जो क्रमश: 28 तथा 33 प्रतिशत था।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गये मामले तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6
कर अपवंचन

₹ करोड़

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक लम्बित मामले	2013-14 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2014 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की गई राशि	
1.	राज्य आबकारी	45	4,242	4,287	4,235	1.92	52
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	102	14,268	14,370	14,262	36.47	108
3.	यात्री एवं माल कर	186	5,135	5,321	5,194	1.64	127
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	6	2,031	2,037	2,037	2.99	0
योग		**339**	**25,676**	**26,015**	**25,728**	**43.02**	**287**

स्रोत: सम्बंधित विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि वर्ष के अंत में लम्बित पड़े मामलों की संख्या में वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित पड़े मामलों की संख्या की तुलना में थोड़ी कमी आई है।

1.5 प्रत्यर्पण मामले

विभाग द्वारा प्रतिवेदित वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण सम्बंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पण तथा वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर लम्बित मामलों का विवरण **तालिका 1.7** में दिया गया है:

तालिका 1.7
प्रत्यर्पण मामलों के लम्बन का विवरण

₹ करोड़

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	64	28.69	6	0.13
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	36	10.59	52	0.81
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	43	21.75	52	0.83
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	57	17.53	6	0.11

स्रोत: सम्बंधित विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेनदेनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई अनियमिताओं, जिनका मौके पर निपटान नहीं हो पाता, से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनुसरण किया जाता है जो निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किये जाते हैं तथा इनकी प्रतियां अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं, ताकि तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कार्यालयाध्यक्षों/ सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट प्रेक्षणों पर शीघ्र अनुपालना करना, दोषों तथा चूकों को दूर करना और निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तिथि से चार हफ्तों के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से की गई अनुपालना से अवगत करवाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2013 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में उद्घाटित हुआ कि विगत दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों सहित जून 2014 के अंत तक 3,411 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित ₹1,904.43 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 9,050 परिच्छेद बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.8** में उल्लिखित है:

तालिका 1.8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निपटान के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,716	3,269	3,411
बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	9,763	8,526	9,050
अंतर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़)	995.12	1,476.50	1,904.43

30 जून 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्ग्रस्त राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9

₹ करोड़					
क्रमांक	**विभाग का नाम**	**प्राप्तियों का स्वरूप**	**बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या**	**बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या**	**अंतर्ग्रस्त मौद्रिक मूल्य**
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	123	954	256.66
		यात्री व माल कर	211	390	218.05
		वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	286	359	14.94
		मनोरंजन तथा विलास कर आदि	113	227	1.04
2.	आबकारी	राज्य आबकारी	64	207	29.28
3.	राजस्व	भू-राजस्व	237	413	0.86
4.	परिवहन	मोटर वाहन कर	718	2,542	199.67
5.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	612	1,179	52.39
6.	खनन तथा भू-विज्ञान	अलौह खनन व धातुकर्म उद्योग	52	151	10.41
7.	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियां	588	1,738	549.86
8.	जल स्रोत (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)	जल प्रभार	120	340	394.20
9.	लोक निर्माण (भवन तथा सड़क)	निक्षेप निर्माण कार्य	171	350	120.12
10.	फसल कर्म	बागवानी तथा कृषि	82	135	3.50
11.	सहकारिता	लेखापरीक्षा फीस तथा अन्य प्राप्तियां	34	65	53.45
योग			**3,411**	**9,050**	**1,904.43**

2013-14 के दौरान जारी किये गए 164 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में लेखापरीक्षा को चार हफ्तों के अनुबद्ध समय के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह अधिक लम्बन इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित दोषों, चूकों तथा अनिमितताओं को दूर करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी।

सरकार को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति शीघ्र तथा उचित कार्रवाई हेतु प्रभावशाली पद्धति अपनाने पर विचार करना चाहिए।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के अनुश्रवण तथा निपटान की प्रगति में तीव्रता लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। वर्ष 2013-14 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

				₹ करोड़
क्रमांक	**राजस्व शीर्ष**	**आयोजित की गई बैठकों की संख्या**	**निपटाए गए परिच्छेदों की संख्या**	**राशि**
1.	राजस्व विभाग	02	93	0.31
2.	राज्य आबकारी विभाग	01	86	0.61
3.	परिवहन विभाग	01	33	0.28
योग		**04**	**212**	**1.20**

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने के बावजूद परिवहन विभाग से सम्बंधित परिच्छेदों के निपटान की प्रगति निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों के बडी संख्या में लंबित होने की तुलना में नगण्य थी।

1.6.3 लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु अभिलेखों की अनुपलब्धता

कर राजस्व/ कर-भिन्न राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पहले से पर्याप्त रूप से बना लिया जाता है और विभागों को लेखापरीक्षा किये जाने से सामान्यत: एक मास पूर्व सूचनाएं जारी की जाती हैं ताकि वे लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेखों को तैयार रखें।

2013-14 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग ने लेखापरीक्षा को ₹10.31 करोड़ के कर प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 36 निर्धारण फाइलें, रिटर्नें, प्रत्यार्पण रजिस्टर और अन्य सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए थे जैसा कि **तालिका 1.11** में विवरण दिया गया है:

तालिका: 1.11

कार्यालय का नाम	सर्कल का नाम	अभिलेख	अवधि
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन.-बद्दी	सर्कल-I	₹5.13 करोड़ के बकाया से युक्त सात फाइलें	अप्रैल 2010 से मार्च 2012
	सर्कल-II	मासिक बकाया विवरणी	अप्रैल 2008 से मार्च 2009
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	--	₹5.18 करोड़ के बकाया से अंतर्ग्रस्त 25 फाइलें। बकाया भू-राजस्व मामले बकाया रूप में दर्शाये नहीं गये थे।	अप्रैल 2008 से मार्च 2013
		मासिक बकाया विवरणी	
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) दक्षिणी क्षेत्र परवाणु	--	मांग और संग्रहण (निपटान) रजिस्टर	अप्रैल 2011 से मार्च 2013
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) उत्तरी क्षेत्र पालमपुर	--	क्रमांक 0258851-0258900 तथा 0719701 -750 वाली पी0जी0टी0-21 की पुस्तकें	अक्तूबर 2009 और मार्च 2010 के मास में जारी

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजे जाते हैं कि वे छ: सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रेषित करें। विभागों/ सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अंत में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

अप्रैल तथा सितम्बर 2014 के मध्य चौंतीस प्रारूप परिच्छेद और एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके नाम से भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को अनुस्मारक जारी (सितम्बर 2014) किये जाने के बावजूद पांच प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर नहीं भेजे थे तथा उन्हें सरकार की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तथापि विभाग के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें उचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के

भीतर सरकार द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां असाधारण रूप से विलंबित की जा रही थी। 31 मार्च 2009, 2010, 2011 तथा 2012 को समाप्त वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 148 परिच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 13 अप्रैल 2010 तथा 09 अप्रैल 2013 के मध्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बंध में सम्बद्ध विभागों से इन परिच्छेदों पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां क्रमश: 10, 14, 13 तथा नौ मास के औसत विलम्ब से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए दो विभागों (वन और बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत) से 10 प्ररिच्छेदों के सम्बंध में की गई कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2014)।

लोक लेखा समिति ने 2008-09 से 2010-11 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित 32 चयनित परिच्छेदों पर चर्चा की। तथापि सम्बंधित विभागों से लोक लेखा समिति की 32 सिफारिशों के सम्बंध में की गई कार्रवाई की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी जैसा कि **तालिका 1.12** में उल्लिखित है।

तालिका 1.12

वर्ष	विभागों का नाम				कुल
2007-08	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	उद्योग	--	--	2
2008-09	वन	परिवहन	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	लोक निर्माण विभाग	20
2009-10	वन	--	--	--	4
2010-11	वन	--	--	--	6
योग					32

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभागों/ सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागार किए गए मामलों को निपटाने के लिए अपनाई गई पद्धति का विश्लेषण करने हेतु एक विभाग (यात्री एवं माल कर के संदर्भ में आबकारी विभाग) के विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया और उसको इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती परिच्छेद 1.7.1 से 1.7.3 मुख्य राजस्व शीर्ष "0042- यात्री एवं माल कर" के अंतर्गत यात्री एवं माल कर के सम्बंध में आबकारी विभाग के निष्पादन और 2013-14 तक विगत दस वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा में अधिसूचित मामलों तथा 2003-04 से 2012-13 वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा करते है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा 31 मार्च, 2014 को उनकी सारांशित स्थिति को नीचे **तालिका 1.13** में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 1.13
निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

₹ करोड़

वर्ष	अथ शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य
2004-05	208	419	12.96	8	34	0.91	6	17	1.92	210	436	11.94
2005-06	210	436	11.94	10	42	0.31	12	21	0.51	208	457	11.74
2006-07	208	457	11.74	12	61	17.17	51	207	6.06	169	311	22.85
2007-08	169	311	22.85	8	34	0.61	5	12	0.72	172	333	22.74
2008-09	172	333	22.74	12	46	1.53	2	14	14.66	182	365	9.61
2009-10	182	365	9.61	12	54	0.83	4	8	0.92	222	562	9.52
2010-11	222	562	9.52	10	24	1.46	25	73	3.31	207	513	7.67
2011-12	207	513	7.67	9	23	2.18	8	46	2.39	208	490	7.46
2012-13	208	490	7.46	9	68	225.82	10	34	18.99	207	524	214.29
2013-14	207	524	214.29	7	60	5.80	0	1	0	214	583	220.09

सरकार पुराने परिच्छेदों के निपटान हेतु विभाग तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय के मध्य तदर्थ समिति की बैठकों की व्यवस्था करती है। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2004-05 के प्रारम्भ में 419 परिच्छेदों सहित 208 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2013-14 के अंत तक 583 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढकर 214 हो गई।

यह इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति **तालिका 1.14** में दर्शायी गई है:

तालिका 1.14

₹ लाख

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित किए गए परिच्छेदों की संख्या	परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किए गए परिच्छेदों की संख्या	स्वीकार किए गए परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष 2013-14 के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2014 को स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2003-04	2	27.40	2	14.94	--	5.60
2004-05	1	27.32	1	22.36	--	8.48
2005-06	1	28.89	1	24.36	--	14.38
2006-07	2	91.16	2	80.31	--	52.19
2007-08	2	85.83	2	75.39	--	31.72
2008-09	2	94.95	2	90.04	25.02	26.07
2009-10	2	151.92	2	133.63	8.00	36.56
2010-11	2	103.53	2	90.11	5.90	37.06
2011-12	2	108.48	2	94.88	8.98	36.17
2012-13	1	22,582.00[2]	1	996.00	132.31	132.31
योग	**17**	**23,301.48**	**17**	**1622.02**	**180.21**	**380.54**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों के दौरान स्वीकार्य मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी। स्वीकार्य मामलों में वसूली सम्बंधित पक्षों से वसूली योग्य बकाये के रूप में की जानी थी। विभाग/ सरकार द्वारा स्वीकार्य मामलों के अनुसरण के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया गया था। इसके अतिरिक्त स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित बकाया मामले आयुक्त आबकारी तथा कराधान विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। उपयुक्त तंत्र के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों में वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका।

---

[2] यह राशि 'यात्री एवं माल कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बंधित है।

विभाग को स्वीकृत मामलों में अंतर्ग्रस्त देयों की तुरंत वसूली का अनुसरण तथा अनुश्रवण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

1.7.3 विभागों/ सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार द्वारा संचालित की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं सम्बंधित विभाग/ सरकार को उनकी सूचना हेतु, उनके उत्तर उपलब्ध करवाए जाने के अनुरोध के साथ, अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं पर अंतिम सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है और निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अंतिम रूप देते समय विभाग/ सरकार के विचार सम्मिलित किये जाते हैं।

प्राप्ति शीर्ष "0042-यात्री एवं माल कर" के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग पर "यात्री एवं माल कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण" के शीर्षक से एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी और 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई थी। लेखापरीक्षा ने पांच सिफारिशें की थी जो विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी और विभाग ने बताया था कि उनके कार्यान्वयन हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अंतर्गत एक आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष होता है। इस कक्ष को अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के साथ समय-समय पर विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित कार्य योजना तथा परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना जांच करनी थी।

परिवहन और आबकारी एवं कराधान विभागों में वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित की गई इकाइयों, लेखापरीक्षित इकाइयों तथा गैर-लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या निम्नांकित **तालिका 1.15** में दी गई है:

तालिका 1.15

विभाग का नाम	कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाई	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	13	01	12
परिवहन विभाग	70	15	10	05

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 83 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु 28 इकाइयों का चयन किया था और उसमें से मात्र 11 इकाइयों (39 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गई थी।

आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण स्टॉफ की कमी बताया गया।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की पूर्व प्रवृत्तियों तथा अन्य प्राचलों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर जिसमें अन्य बातों के

साथ-साथ सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के गंभीर मामले सम्मिलित होते हैं जैसा कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांख्यिकी विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा व्याप्ति तथा विगत पांच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि, तैयार किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा योग्य 393 इकाइयां थी, जिनमें से 185 इकाइयां योजनागत थी तथा इनकी लेखापरीक्षा की गई थी।

उपरोक्त, उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता को जांचने के लिए **"बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गई।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री, वन प्राप्तियां तथा खनन कार्यालयों की 185 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 754 मामलों में कुल ₹212.21 करोड़ का अवनिर्धारण/ अल्पोद्ग्रहण/ राजस्व हानि उद्घाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 620 मामलों में ₹27.98 करोड़ से अंतर्ग्रस्त अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिन्हें वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। विभागों ने 2013-14 के दौरान विगत वर्ष की लेखापरीक्षा आपत्तियों से सम्बंधित 447 मामलों में ₹9.32 करोड़ का संग्रहण किया।

1.11 इस प्रतिवेदन की आवृत्ति

इस प्रतिवेदन में ₹72.17 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 27 परिच्छेद और **"बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाये"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

विभागों/ सरकार ने ₹11.75 करोड़ से अंतर्निहित 23 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से 16 मामलों में ₹3.50 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)। इनकी अनुवर्ती अध्यायों- II से VI में चर्चा की गई है।